

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक.....

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017 4567...../श्री अशोक कुमार, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गया जिन्हें विभागीय अधिसूचना सं0-4566 दिनांक-09.11.2017 द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के कारण निलंबन से मुक्त किया गया है, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के अंतर्गत तत्कालिक प्रभाव से उन्हें पुनः निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017/

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017 4567...../

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अशोक कुमार, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।